"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 113] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मई 2009—वैशाख 28, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2009

आदेश

क्रमांक 2848/1061/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम, 15 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री अंगुस बारूक टोप्पो (Shri Angus Baruk Toppo), (निम्न न्यायिक सेवा के सदस्य) जो कि वर्तमान में निलम्बित हैं (Place under suspension) मुख्यालय बिलासपुर है, को 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के कारण दिनांक 29-04-2009 से सेवानिवृत्त (अनिवार्य) करता है.

Raipur, the 23rd April 2009

ORDER

No. 2848/1061/XXI-B/C. G./2009.—In exercise of the powers conferred by proviso of Rule 15 (1) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Services) Rules, 2006 and on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, the State Government of Chhattisgarh hereby retire's (Compulsorily) Shri Angus Baruk Toppo, Member of Lower Judicial Service presently placed under suspension with Headquarter at Bilaspur, from service w. e. f. 29-04-2009 on completion of 58 years of age.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

